राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 14.03.2026

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 42 / 2025

जीसीएमएस संख्याः 2025 / 82

दायर दिनांकः 24.03.2025

1. सुरज मल माली पुत्र रामदेव माली निवासी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू

.................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू ....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थितः–

1. **श्री मोहनलाल बिस्सु अधिवक्ता प्रार्थी।**
2. **अप्रार्थी राजपैरोकार तहसीलदार सुजानगढ़।**

निर्णय दिनांकः 14.03.2026

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी कस्बा सुजानगढ़ जिला चूरू का स्थायी निवासी है जिसके रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 190 के खसरा संख्या 945 क्षेत्रफल 6.7524 है0 संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। उपर्युक्त खेत के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सुरजाराम पुत्र रामदेव दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सुरज मल माली पुत्र रामदेव है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि में सुरज मल माली पुत्र रामदेव नाम अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम उपर्युक्त खातेदारी कृषि भूमि में सुरजाराम पुत्र रामदेव अंकित है। जबकि संलग्न दस्तावेजों में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सुरज मल माली पुत्र रामदेव

अंकित है। सुरजाराम व सुरजमल माली दोनों एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सुरज मल माली दर्ज किये जाने की अभिषंशा की जाती है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम सुरज मल माली पुत्र रामदेव अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ में खाता संख्या 190 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सुरजाराम पुत्र रामदेव के स्थान पर सुरज मल माली पुत्र रामदेव दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 14.03.2026 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़